कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 336/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 26.08.2026

थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

- **लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग करने पर जिलाधिकारी आजमगढ़ ने शस्त्र लाइसेंस किया निरस्त**
- **सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में लाइसेंसी द्वारा लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग की पुष्टि**
- **लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग कर लोकशांति एवं लोकसुरक्षा को किया गया प्रभावित करने पर हुई कार्यवाही**

पूर्व की घटना/ इतिहास-

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ग्राम गाहूखोर गोबरही, थाना रानी की सराय क्षेत्र स्थित मंदिर पर पूजा के दौरान लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस द्वारा वायरल वीडियो की जांच की गई, जिसमें फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र रामझलक मिश्रा, निवासी ग्राम गाहूखोर गोबरही, थाना रानी की सराय, आजमगढ़ के रूप में हुई। उक्त व्यक्ति के नाम एसबीबीएल गन संख्या 18PGN-03621, शस्त्र लाइसेंस संख्या 160/02 दर्ज है तथा हर्ष फायरिंग के सम्बन्ध में इनके विरुद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0 65/2021, धारा 286 भा0द0वि0 एवं धारा 30 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

कृत कार्यवाही-

प्रकरण में पुलिस आख्या एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की संस्तुति की गई। नियमानुसार लाइसेंसधारी को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरान्त जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 19.08.2026 को शस्त्र लाइसेंस संख्या 160/02 निरस्त कर दिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- लाइसेंसी शस्त्रों का दुरुपयोग, हर्ष फायरिंग एवं लोकशांति/लोकसुरक्षा को प्रभावित करने वाले कृत्यों के विरुद्ध आजमगढ़ पुलिस द्वारा नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

थाना मुबारकपुर/देवगाँव, जनपद आजमगढ़

- **अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त 02 वाहनों पर बड़ी कार्रवाई, जिला मजिस्ट्रेट ने किया सरकार के पक्ष में अधिग्रहण**
- **दोनों प्रकरणों में कुल 2041.2 लीटर अवैध शराब बरामद जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये**
- **चंडीगढ़ में बिक्री हेतु अनुमन्य शराब को अवैध रूप से आजमगढ़ के रास्ते मऊ के लिए किया जा रहा था परिवहन**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देवगाँव एवं मुबारकपुर के दो प्रकरणों में शराब परिवहन में प्रयुक्त 02 वाहनों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत अधिग्रहण की कार्रवाई की गई।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

थाना देवगाँव: मु0अ0सं0-156/2023 धारा 60(1), 63, 72 आबकारी अधिनियम में स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UP 62 CJ 3387 से 240 शीशी अंग्रेजी शराब (कुल 43.200 लीटर) बरामद हुई थी। बोतलों पर For Sale in UT Chandigarh अंकित था। वाहन स्वामी सुनील यादव पुत्र मंगरु यादव के वाहन को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा दिनांक 19.08.2026 को सरकार के पक्ष में अधिग्रहण किया गया है।

थाना मुबारकपुर: मु0अ0सं0-80/2025 धारा 318(4) बीएनएस एवं धारा 60, 72 आबकारी अधिनियम में महिन्द्रा बोलेरो मैक्सी पिकअप संख्या UP 45 T 7178 से 222 पेटी विण्डीज मजेदार ब्राण्ड की 1,998 लीटर देशी शराब बरामद हुई थी। जांच में शराब की निर्धारित बिक्री अवधि 05.04.2024 को समाप्त होने के बाद उसे अवैध रूप से आजमगढ़ लाया जाना पाया गया। वाहन को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा सरकार के पक्ष में अधिग्रहण किया गया है।

आपराधिक इतिहास-

सुनील यादव पुत्र मंगरु यादव के विरुद्ध थाना देवगाँव पर भारी मात्रा में चण्डीगढ़ से अवैध शराब परिवहन के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इनके विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्यवाही की गयी।

जितेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र राम विनोद पाण्डेय के विरुद्ध थाना मुबारकपुर पर बिजली चोरी एवं भारी मात्रा में अवैध शराब परिवहन करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत है।

कुल बरामदगी एवं कार्रवाई-

दोनों प्रकरणों में कुल 2041.2 लीटर अवैध शराब, अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये, बरामद हुई थी। दोनों वाहनों का आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत अधिहरण किया गया है। निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा न होने पर दोनों वाहनों की बाजारू कीमत निर्धारित कर नियमानुसार नीलामी की जाएगी।

आजमगढ़ पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है।

थाना मुबारकपुर/ देवगांव जनपद– आजमगढ़।

☐ अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त 02 वाहनों पर बड़ी कार्रवाई, जिला मजिस्ट्रेट ने किया सरकार के पक्ष में अधिहरण

☐ थाना देवगाँव एवं मुबारकपुर के आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में कुल 2,041.200 लीटर अवैध शराब बरामद हुई

☐ दोनों प्रकरणों में आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत अधिहरण की कार्रवाई, वाहन स्वामियों को जुर्माना जमा कर वाहन अवमुक्त कराने का विकल्प

☐ निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा न करने पर दोनों वाहनों की बाजारू कीमत निर्धारित कर नीलामी की जाएगी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद आजमगढ़ में अवैध शराब के परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देवगाँव एवं मुबारकपुर में दर्ज दो अलग-अलग प्रकरणों में अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत अधिहरण की कार्रवाई की गई है।

पूर्व की घटना/ इतिहास का विवरण -

थाना देवगाँव:-

थाना देवगाँव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 156/2023, धारा 60(1), 63, 72 आबकारी अधिनियम से संबंधित स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UP 62 CJ 3387 से 05 गत्तों में कुल 240 शीशी अंग्रेजी शराब, प्रत्येक 180 एमएल, कुल 43.200 लीटर बरामद हुई थी।

बरामद शराब की बोतलों पर “For Sale in UT Chandigarh” अंकित था, जिससे स्पष्ट हुआ कि शराब चंडीगढ़ यूटी में बिक्री हेतु निर्मित थी तथा उसे अवैध रूप से जनपद आजमगढ़ में परिवहन किया जा रहा था।

प्रकरण में वाहन स्वामी **सुनील यादव पुत्र मॅगरू यादव, निवासी बरडीहा, थाना केराकत, जनपद जौनपुर, वर्तमान पता खजुरा, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़** के नाम वाहन पंजीकृत पाया गया। प्रकरण की सुनवाई एवं उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा दिनांक 19.08.2026 को वाहन को उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में अधिहरण करने का आदेश पारित किया गया। वाहन स्वामी को ₹1,50,000/- राजकीय कोष में जमा करने पर वाहन अवमुक्त कराने का विकल्प दिया गया है।

थाना मुबारकपुर-

थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 80/2025, धारा 318(4) बीएनएस एवं धारा 60, 72 आबकारी अधिनियम में वाहन संख्या UP 45 T 7178 महिन्द्रा बोलेरो मैक्सी पिकअप से 222 पेटी विण्डीज मजेदार ब्राण्ड की कुल 1,998 लीटर देशी शराब बरामद की गई थी।

जिला आबकारी अधिकारी की जांच में पाया गया कि उक्त शराब जनपद मऊ की फुटकर दुकान हरिकेशपुरा बंधा के लिए बिक्री हेतु अनुमन्य थी, लेकिन उसकी बिक्री की निर्धारित समय-सीमा 05.04.2024 को समाप्त हो चुकी थी। नियमानुसार इसके बाद अवशेष शराब का विनष्टीकरण किया जाना था। इसके बावजूद उक्त शराब को अवैध रूप से वाहन के माध्यम से जनपद आजमगढ़ लाया जा रहा था।

प्रकरण में वाहन चालक **जितेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र रामविनोद पाण्डेय, थाना कोतवाली, जनपद मऊ** का उल्लेख अभिलेख में है तथा वाहन जे.पी. एसोसिएट्स, शाहगंज, जौनपुर के नाम पंजीकृत पाया गया। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा दिनांक 19.08.2026 को वाहन को उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में अधिहरण करने का आदेश पारित किया गया। वाहन स्वामी को ₹5,00,000/- राजकीय कोष में जमा करने पर वाहन अवमुक्त कराने का विकल्प दिया गया है।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सुनील यादव पुत्र मंगरु यादव निवासी ग्राम खुझरा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध-

01. मु0अ0सं0-143/2023 धारा 419/420/272/273 भादवि व 60(1)/63 आबकारी अधिनियम थाना देवगाँव, जनपद आजमगढ़।

02. मु0अ0सं0-197/2024 धारा 3(1), 2B(ii) गैंगस्टर एक्ट थाना देवगाँव, जनपद आजमगढ़।

जितेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र राम विनोद पाण्डेय निवासी कस्बा भीटी, कोतवाली मऊ, जनपद मऊ के विरुद्ध-

01. मु0अ0सं0-80/2025 थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ में धारा 60 आबकारी एक्ट व 318(4), 61(2) बीएनएस कोतवाली मऊ, जनपद मऊ।

02. मु0अ0सं0-2891/2023 थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद मऊ में धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम कोतवाली मऊ, जनपद मऊ।

कुल बरामदगी एवं कार्रवाई-

उक्त दोनों प्रकरणों में कुल 2,041.200 लीटर अवैध शराब बरामद हुई जिसकी अनुमानित बाजारु मूल्य लगभग 15 लाख रूपये निर्धारित की गई है तथा अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त 02 वाहनों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत अधिहरण की कार्रवाई की गई है।

निर्धारित अवधि में संबंधित वाहन स्वामियों द्वारा आदेशानुसार जुर्माने की धनराशि जमा न किए जाने की स्थिति में दोनों वाहनों की बाजारू दर निर्धारित कर नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।

आजमगढ़ पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं तस्करी के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है तथा अवैध गतिविधियों में प्रयुक्त वाहनों के विरुद्ध भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

□ "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत थाना निजामाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार

□ अभियुक्त के कब्जे से .315 बोर का अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस एवं ₹100 नकद बरामद; पूर्व में भी आर्म्स एक्ट सहित अन्य अभियोग पंजीकृत

आजमगढ़।* वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ *डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए *HS अभियुक्त अब्दुल करीम पुत्र मो0 रहमान, निवासी घूरीपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 29 वर्ष* को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक *25.08.2026* को उ0नि0 कमला प्रसाद मय पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध असलहे के साथ *असनी पुलिया* के पास खड़ा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर अभियुक्त अब्दुल करीम को पकड़ लिया गया। जामा तलाशी के दौरान उसके कब्जे से *01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं ₹100 नकद* बरामद हुआ। अभियुक्त को समय करीब *11:31 बजे* हिरासत में लिया गया।

बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना निजामाबाद पर *मु0अ0सं0-212/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट* के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी थाना महाराजगंज पर गोवध निवारण अधिनियम एवं आयुध अधिनियम तथा थाना निजामाबाद पर भा0द0वि0 की धाराओं में अभियोग पंजीकृत है।

1.मु0अ0स0 22/2026,धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम थाना महराजगंज।

2.मु0अ0स0 56/2016 धारा 147,323,504,506 भा0द0वि0 थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- *01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं ₹100 नकद।*

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 कमला प्रसाद, उ0नि0 दिलीप आनन्द, हे0का0 हौशला नन्द यादव, का0 कृष्ण चन्द, का0 राहुल सिंह, का0 मोहन मौर्य, का0 अमरजीत गुप्ता, का0 वैभव पटेल एवं का0 दीपक कुमार, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है।

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

□ फर्जी प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड के जरिए दो पासपोर्ट बनवाने वाला अभियुक्त थाना जहानागंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार

□ व्यक्तिगत विवरण में हेराफेरी कर एक से अधिक पासपोर्ट प्राप्त करने के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध पासपोर्ट अधिनियम एवं BNS की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज

आजमगढ़।* वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ *डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानागंज पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक से अधिक पासपोर्ट बनवाने के मामले में वांछित अभियुक्त *बेलाल अहमद पुत्र इफ्तेखार, निवासी ग्राम बरहतीर जगदीशपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 39 वर्ष* को गिरफ्तार किया गया।

पूर्व की घटना- दिनांक 14.07.2026 को थाना जहानागंज पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त बेलाल अहमद के विरुद्ध *मु0अ0सं0-159/2026, धारा 318(4) BNS एवं धारा 12(1)(बी) पासपोर्ट अधिनियम* के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त द्वारा प्रथम पासपोर्ट के आवेदन में मौलवी का अंकपत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें नाम *बेलाल अहमद* तथा जन्मतिथि *01.01.1987* अंकित थी, जबकि दूसरे पासपोर्ट के आवेदन में प्रस्तुत आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में नाम *अलमद बेलाल* तथा जन्मतिथि *01.01.1997* अंकित थी। इस प्रकार पूर्व में जारी पासपोर्ट से संबंधित दस्तावेजों में हेराफेरी एवं छल कर व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन करते हुए दूसरा पासपोर्ट प्राप्त करने का मामला प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक *26.08.2026* को थाना जहानागंज पुलिस द्वारा क्षेत्र में देखभाल, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के दौरान अभियुक्त *बेलाल अहमद* को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए समय करीब *08:10 बजे* हिरासत पुलिस में लिया गया, आवश्यक विधिक कार्रवाई के पश्चात अभियुक्त को *मा0 न्यायालय आजमगढ़* भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-159/2026 धारा 318(4), 336(3), 338, 340 BNS एवं धारा 12(1)(बी) पासपोर्ट अधिनियम, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- *बेलाल अहमद पुत्र इफ्तेखार*, निवासी ग्राम बरहतीर जगदीशपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 39 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अभिषेक कुमार कुशवाहा, हे0का0 गोविन्द सिंह एवं रि0का0 आनन्द मिश्रा, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

आजमगढ़ पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेजों, धोखाधड़ी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई लगातार जारी है।

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

□ थाना निजामाबाद पुलिस की साइबर टीम ने त्वरित कार्रवाई कर साइबर फ्रॉड के ₹5,000/- पीड़ित को वापस कराए

□ NCRP पोर्टल पर शिकायत के बाद धनराशि होल्ड कराकर खाताधारक के माध्यम से पीड़ित के खाते में कराई गई वापस

आजमगढ़।* वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ *डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना निजामाबाद पुलिस की साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड के ₹*5,000/-* पीड़ित को वापस कराए गए।

घटना का विवरण- दिनांक *23.08.2026* को आवेदक शुभम पाण्डेय पुत्र रामशिरोमन पाण्डेय, निवासी कोल्हुपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ द्वारा गाड़ी दिखाने के नाम पर ₹5,000/- की धनराशि भेजी गई थी। धनराशि भेजने के बाद संबंधित व्यक्ति द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया तथा आवेदक को ब्लॉक कर दिया गया। इस संबंध में आवेदक द्वारा दिनांक 23.08.2026 को साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत संख्या *23108260166286* दर्ज कराई गई।

पुलिस की कार्रवाई- शिकायत प्राप्त होने पर प्रभारी निरीक्षक *राकेश कुमार सिंह* के निर्देशन में थाना निजामाबाद की साइबर टीम द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की गई। NCRP पोर्टल के माध्यम से फ्रॉड की धनराशि ₹*5,000/-* को संबंधित खाते में होल्ड कराया गया। तत्पश्चात खाताधारक के माध्यम से उक्त धनराशि आवेदक के खाते में वापस कराई गई।

धनराशि वापस मिलने पर आवेदक द्वारा थाना निजामाबाद पुलिस एवं साइबर टीम के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर टीम-

उ0नि0 दिलीप आनन्द, का0 राकेश यादव, म0आ0 रेनू देवी एवं म0आ0 पूर्णिमा चौधरी, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

आजमगढ़ पुलिस नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाने एवं साइबर फ्रॉड में गई धनराशि की त्वरित रिकवरी हेतु लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है।

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

☐ *थाना कोतवाली पुलिस की साइबर टीम ने त्वरित कार्रवाई कर साइबर फ्रॉड के ₹27,500/- पीड़ित को वापस कराए*

☐ *1930 पर शिकायत प्राप्त होते ही साइबर पोर्टल के माध्यम से कार्रवाई कर फ्रॉड की पूरी धनराशि कराई गई वापस*

आजमगढ़।* वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 *अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस की साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड की ₹*27,500/-* की पूरी धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई गई।

घटना का विवरण- आवेदक *अनुज कुमार पुत्र महेन्द्र राम, निवासी गंगापुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़* के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से एक लिंक प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा लिंक ओपन करते ही उसके बैंक खाते से ₹*27,500/-* की धनराशि कट गई। घटना की जानकारी होते ही आवेदक द्वारा बिना देरी किए साइबर हेल्पलाइन नंबर *1930* के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस की कार्रवाई- थाना कोतवाली के साइबर प्रभारी *उ0नि0 सागर कुमार रंगू* एवं टीम द्वारा साइबर पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या *33101260019477* पर त्वरित कार्रवाई की गई। नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड की पूरी धनराशि ₹*27,500/-* आवेदक के खाते में वापस कराई गई।

धनराशि वापस मिलने पर आवेदक द्वारा आजमगढ़ पुलिस की साइबर टीम के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
आमजन से अपील- किसी अज्ञात लिंक, कॉल अथवा मैसेज पर अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करें। यदि आपके खाते से बिना जानकारी के कोई धनराशि कट जाती है तो तत्काल *साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930* पर कॉल करें अथवा *www.cybercrime.gov.in* पर शिकायत दर्ज करें। साथ ही अपने संबंधित बैंक को लिखित सूचना देकर नजदीकी थाने के साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क करें, जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सागर कुमार रंगू, का0 नीरज पटेल, का0 राजन कुमार गौड़, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

दिनांक–26.08.2026 | जनपद–आजमगढ़

☐ वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान में आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

☐ दिनांक 25 एवं 26 अगस्त को विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा कुल 73 अभियुक्त गिरफ्तार

☐ 03 वांछित एवं 70 NBW वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

☐ न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंटों के अनुपालन में व्यापक स्तर पर कार्रवाई

☐ अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रभावी कार्रवाई जारी

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में वांछित एवं न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के क्रम में दिनांक 25.08.2026 एवं 26.08.2026 को जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल 73 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
दिनांक 25.08.2026: कुल 33 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनमें 02 वांछित एवं 31 NBW वारंटी अभियुक्त शामिल हैं।
दिनांक 26.08.2026: कुल 40 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनमें 01 वांछित एवं 39 NBW वारंटी अभियुक्त शामिल हैं।
दोनों दिनों में कुल: 73 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनमें 03 वांछित एवं 70 NBW वारंटी अभियुक्त शामिल हैं।
दिनांक 25.08.2026 को थाना जीयनपुर एवं महाराजगंज से 01-01 वांछित अभियुक्त तथा थाना कोतवाली, सिधारी, रानी की सराय, कन्धरापुर, जहानागंज, बरदह, मेहनगर, रौनापार, फूलपुर, पवई एवं दीदारगंज से NBW वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए।

दिनांक 26.08.2026 को थाना सिधारी एवं महाराजगंज से 07-07, कोतवाली से 06, कप्तानगंज से 04, जहानागंज से 03, कन्धरापुर, गम्भीरपुर, देवगांव एवं तहबरपुर से 02-02 तथा बरदह, फूलपुर, सरायमीर एवं दीदारगंज से 01-01 वांछित/वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए।

जनपद पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी वारंटों के शत-प्रतिशत अनुपालन एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान निरंतर जारी है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रभावी एवं नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

☐ आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अभियान लगातार जारी रहेगा।